

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 156/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/239

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
भागीरथसिंह विकास अधिकारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. हंजा पत्नी चम्पालाल जाति पुरोहित निवासी जाणुदा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत जाणुन्दा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाणुन्दा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 4. टीपूदेवी पत्नी कालुराम जाति सिरवी निवासी पाबुजी मन्दिर के पास जाणुदा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपरिस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र राठौड़।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सौलकी।

—: निर्णय :-

दिनांक : 26/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 121/08-09, एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 19.12.2009 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से अन्य गै.मु.गोचर में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा जारी किया है तथा वर्तमान में मौके पर कंटीली झाड़ियों के सिवाय कोई मकान या झोपड़ी नहीं बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थी साथ ही उक्त पट्टा निःशुल्क तथा विक्रय के लिये नहीं था उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर पट्टे को अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय कर दिया। ग्राम पंचायत ने 20 गुणा 50 के नाप के भूखण्ड का पट्टा बनाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया

25/9



जबकि पट्टा 50 गुणा 25 नाप का जारी किया गया। ग्राम पंचायत को अपने स्तर से स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निजी भवन के विक्रय के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध तरीके से एनओसी जारी की है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों के प्रावधानों की पालना किये बिना ही प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दुरभि संधि कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने ग्राम की आबादी भूमि खसरा संख्या 93/1 में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है तथा अप्रार्थी गरीब महिला होने से निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा प्राप्त हेतु पात्र थी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया अप्रार्थी मौके पर काबिज है तथा ग्राम पंचायत ने आवदेन दर्ज कर, पंचायतीराज नियमों के तहत मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति नोटिस जारी करते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 121/08-09, एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 19.12.2009 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया था और ऐसे पट्टे विक्रय के लिये नहीं होते है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पट्टे का बेचाण अप्रार्थी संख्या 4 को कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158(2) के "प्रथम परन्तुक यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी" तथा 158(3) के अनुसार "इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बड़े अक्षरों में विक्रय के लिए नहीं की मुहर लगायी जायगी। यदि कोई भी आवंटिती, ऐसे गृह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित या विक्रित करे, तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पड़ी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अन्तरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जायेगा।" जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 के अन्तिम पैरा में अंकितानुसार पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आबादी भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री के दिनांक 01.04.2021 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में कर दिया, जो कि सन्दर्भित नियमों की अवहेलना है। पट्टाधारक ने नियम 158 की शर्तों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति को जैर निगरानी पट्टा विक्रय किया जो नियमानुसार निरस्त योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट दिनांक 18.05.2023 के अनुसार ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके आधार पर उप पंजीयन, मारवाड़ जंक्शन द्वारा विक्रय विलेख पंजीबद्ध किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार इस अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं हैं अर्थात् स्वामित्व



(Handwritten signature)

प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के गठन, उनके अधिकार, कर्तव्य और कार्यों के संचालन से सम्बन्धित है। इसमें भूमि स्वामित्व या भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के जारी करने का उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्व विभाग और भू-राजस्व अधिकारी भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित मामलों में अधिकृत हैं, न कि पंचायती राज विभाग। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2010 (4) WLN 105 (Raj) Moti Lal & Ors. vs State & Ors. के अनुसार It is very strange that no such type of title certificate is defined and provided under the Panchayat Act of the Rules, so also, no title can be given by way of issuing such "Land Ownership Certificate" by Sarpanch of any Gram Panchayat but with the connivance of Sarpanch, the applications were filed by the petitioners under their signatures are those applications were considered and upon the prayer made by the petitioners, these certificates were issued by the Sarpanch, Nadol, Which is totally in contravention of the Panchayat Act and the Rules because there is no provision in the Panchayat Act and Rules to issue so called "Land Ownership Certificate" to create any title in favor of petitioners. अर्थात् उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पंचायत अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के हक सम्बन्धी प्रमाणपत्रों को परिभाषित व प्रावधानित नहीं किया गया है।" इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) राजस्थान सरकार का परिपत्र 2016/325 दिनांक 19.04.2017 के अनुसार "कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह के प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाये।" उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही कोई भी परिपत्र किसी अधिनियम का ही संक्षिप्त रूप होता है और हस्तगत प्रकरण में सम्बन्धित अधिनियम वर्ष 1994 से प्रभावी है। लिहाजा यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई अधिकार नहीं था, उसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज अधिनियम में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया, जो विधिसम्मत नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता



[Handwritten signature]

है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज यथा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जो पट्टे की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकॉर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रवाई को संशोधित, निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुनर्विचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इस मामले में ग्राम पंचायत जारी निःशुल्क पट्टे को पट्टाधारक ने आगे विक्रय कर दिया, जांच रिपोर्ट दिनांक 18.05.2023 के अनुसार ग्राम पंचायत ने पट्टाधारक के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया और जैर निगरानी पट्टे को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या 121/08-09, एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 19.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत जाणुन्दा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

